कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

एसबी सिविल याचिका संख्या 5554/2020 सुरेन्द्र कुमार कुम्हार बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।
एसबी सिविल याचिका संख्या 5555/2020 मनीष कुमार व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।
एसबी सिविल याचिका संख्या 5656/2020 जितेन्द्र बैरवा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।
एसबी सिविल याचिका संख्या 5662/2020 मुकेश कुमार व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।

उक्त याचिकाओ मे प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, जयपुर द्वारा निम्नांकित याचिकार्थियों के अभ्यावेदन स्वीकार निस्तारण हेतु विभाग को भिजवाए गए है –

क्र.सं.	मैरिट नं.	रोल नं.	नाम	गृह नगर/चाहा गया जिला	पदस्थापित स्थान
01	3901	119428	सुरेन्द्र कुमार कुम्हार	जयपुर	नागौर
02	5907	227953	कमलेश कुमार	जयपुर	नागौर
03	4128	262228	धोलूराम गुर्जर	जयपुर	अलवर
04	900	822225	मनीष कुमार	सीकर	नागौर
05	733	833271	हनुमान प्रसाद	सीकर	चुरू
06	869	208978	मूलचन्द यादव	सीकर	नागौर
07	993	196172	मोहनलाल यादव	सीकर	नागौर
08	809	128228	राजेन्द्र प्रसाद	सीकर	चुरू
09	4235	629052	मुकेश कुमार	झूंझूनु	भीलवाडा
10	4074	2045294	नरेन्द्र यादव	जयपुर	सवाईमाधोपुर

उक्त याचिकाएं लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 से संबंधित है। जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2020 एवं 04.08.2020 के द्वारा याचिकार्थियो को राजस्थान मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के उपनियम 24(iv) के तहत गृह जिला आवंटन हेतु प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

राजस्थान अधिनस्थ सेवा अधिकारी मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 28(4) एवं इसके उप नियम में अभ्यर्थी द्वारा चाहे गए प्राथमिकता अनुसार व उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान मे रखकर ही यथा संभव पदस्थापन किये जाने के निर्देश है जो कि पूर्णतः बाध्यकारी नहीं है एवं किसी लोक सेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन कि मांग अधिकार पूवर्क नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकतानुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेक व विभाग की आवश्यकताओं के अधीन है।

कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है, याचिकार्थियो द्वारा चाहे गए जिले यथा जयपुर, सीकर एव झूंझूनु मे कनिष्ठ सहायक रिक्त पद नहीं होने एवं इच्छित स्थान की जगह अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों का हनन एवं सेवानियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। कार्मिक को पूर्व में ही काउन्सलिंग द्वारा जिला चयन का अवसर प्रदान किये जाने के कारण याचिकार्थियो के अभ्यावेदन अस्वीकार कर अभ्यावेदन निरस्त किये जाते है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/स्थाप्र/बी–1/RPSC-13/फॉर्म/2856/18–19 दिनांक – 12/01/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
2. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा ।
3. संबंधित कार्मिक
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर